HEADQUARTERS
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-2

No.Z-11/14/1/2005-[illegible] **Dated:13.9.2005**

To,

All Regional Director/Additional Commissioner/
Director/Jt. Director I/c. SRO/Divisional Offices,
Medical Superintendent, ESI Hospital,
Medical Superintendent, Model Hospital,
DDMO(Basaidarapur/Noida).

Subject:- Right to Information Act 2005 - Designation of Central Public Information Officers and Central Assistant Public Information Officers in the Offices of ESI Corporation.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 23.08.05 on the above subject, Director General has also designated Jt. Director Incharge of the Sub-Regional Offices and Divisional Offices as Central Public Information Officers in terms of section-5 of the RTI Act, in respect of their establishments.

Further in terms of Section-7 (8) III and 8(1)(d) read with Section 19(1) of the RTI Act-2005, Director General has designated Insurance Commissioner as Appellate Authority in respect of Regional Offices/Sub-Regional Offices/Divisional Offices/Hqrs. office, under the RTI Act. The Medical Commissioner will be the Appellate Authority for Model Hospitals, ESI Hospitals and Dispensaries run by the ESIC i.e. under Director(Medical)Delhi and Director (Med.) Noida.

It may also be confirmed that contents of the letter under reference have been circulated to all Branches/Branch Offices/ESI Dispensaries run by the Corporation, for their information and compliance of the provisions as contained in the Right to Information Act-2005.

This information may also be prominently displayed in various Offices/Establishments of ESI Corporation for information of all concerned.

Yours faithfully,

(J.K. DAGAR)
JT. DIRECTOR(MSU)

Copy to:-
(1) Addl. Commissioner (P.R.) may please arrange to have it issued by way of press release & also put this information on the ESIC website.
(2) Addl. Commissioner (System) with the request to put it on ESIC website for wide Publicity.
(3) All Branches at Hqrs. Office.
(4) All Officers at Hqrs. Office.
(5) Guard File.

JT. DIRECTOR

अति आवश्यक

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन : सी.आई.जी. मार्ग : नई दिल्ली-1[illegible]

संख्या : जेड-12/14/1/2005-प्र.से.ए.

दिनांक : 13.09.2005

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/अपर आयुक्त/
निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय,
चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल,
चिकित्सा अधीक्षक, मॉडल अस्पताल,
नि. (चि.) दिल्ली/बसईदारापुर/नोएडा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - क.रा.बी. निगम के कार्यालयों में केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा केन्द्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी नामोदिष्ट करना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 23.08.2005 के समसंख्यक पत्र के क्रम में महानिदेशक ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 की शर्तों के अनुसार उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रभागीय कार्यालयों के प्रभारी संयुक्त निदेशकों को भी अपनी स्थापनाओं के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया है ।

इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (I) के साथ पठित धारा 7 (8)(iii)तथा 8 (I)(जे) की शर्तों के अनुसार महानिदेशक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रभागीय कार्यालयों/मुख्यालय के संबंध में बीमा आयुक्त को अपील अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया है । चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम द्वारा चलाए जा रहे अर्थात् निदेशक(चि.) दिल्ली तथा निदेशक(चि.) नोएडा के अधीन मॉडल अस्पतालों, क.रा.बी. अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए अपील अधिकारी होंगे ।

कृपया यह पुष्टि की जाए कि संदर्भगत पत्र में उल्लिखित विषयवस्तु को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित उपबंधों की सूचना तथा अनुपालन के लिए सभी शाखाओं/शाखा कार्यालयों/निगम द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को परिचालित कर दिया गया है ।

यह सूचना सभी संबंधित की सूचना के लिए क.रा.बी. निगम के विभिन्न कार्यालयों/स्थापनाओं में प्रमुख स्थानों पर भी प्रदर्शित की जाए ।

भवदीय,

(जे.के. डागर)
संयुक्त निदेशक(प्र.से.ए.)

प्रतिलिपि:-

(1) अपर आयुक्त (जनसंपर्क) को इस निवेदन के साथ कि इसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कराने की व्यवस्था करें और इस सूचना को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर भी डाला जाए ।
(2) अपर आयुक्त (प्रणाली) को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि व्यापक प्रचार के उद्देश्य से इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर डाला जाए ।
(3) मुख्यालय की सभी शाखाएं ।
(4) मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
(5) गार्ड फाइल ।

संयुक्त निदेशक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI

NEW DELHI
13th Oct.2004

PRESS RELEASE

As stipulated under section 5 of the Right to Information Act, 2005, the Director General has designated Regional Directors in Regional Office, Joint Director/Incharge of Sub-Regional Offices and Divisional Offices, Med. Supdtt. Of Model Hospitals, Directors medical in Delhi & Noida and Addl.Commissoner (PR) at Hqrs. as Central Public Information Officers and all Branch Managers/IMO Incharge (of dispensaries run by the Corporation) as Central Assistant Public Information Officers in respect of their establishments.

Further in terms of Section-7(8) III and 8(I)(i) read with section 19(1) of the RTI Act, 2005, Director General has designated Insurance Commissioner as appellate Authority for Model Hospitals, ESI Hospitals and Dispensaries run by the ESIC i.e. under Director (Medical) Delhi and Director (Medical) Noida.

Sd/-

(S.THOMAS)
ADDL.COMMISSIONER(PR)
Tel.:23236764

ESIC/PR/PRESS/2005